UPBB010065942021

न्यायालयः **विशेष न्यायाधीश (एम०पी०/एम०एल०ए०)/** अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं.**04,** बाराबंकी।

<u>सत्र परीक्षण वाद सं० 1990/2021</u>

सरकार बनाम अमित कुमार आदि।

अपराध सं. 16 /2015
धारा 147, 148, 149, 302, 364, 201, 216 भा०दं०सं०,
थाना बदोसराय, जिला बाराबंकी।

<u>आदेश पत्र</u>

<u>31-08-2022</u>

विशेष सत्र परीक्षण प्रस्तुत हुआ।

पुकार पर अभियुक्ता मृदुला आनन्द मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय पर उपस्थित है।

आज अभियुक्ता मृदुला आनन्द की ओर से इस आशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी को अपना इलाज कराने के लिये दिनांक 31-08-2022 तक पैरोल पर रिहा किया गया था लेकिन इलाज पूरा न हो पाने के कारण माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ ने पैरोल की अवधि को 10-10-2022 तक बढ़ा दिया है। प्रमाणित प्रति प्राप्त होते ही श्रीमान् जी के समक्ष प्रस्तुत कर दी जायेगी। उपरोक्त आधारों पर उचित एवं आवश्यक कार्यवाही करने की प्रार्थना की गयी। साथ में शपथ पत्र ब-53 इस आशय का दिया गया है कि शपथकर्ती ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 31-08-2022 की प्रति प्रस्तुत किया है, वह सच व सही है और ब 54/1 लगायत ब 54/4 माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांकित 31-08-2022 है जो क्रिमिनल मिसलीनियस बेल एप्लीकेशन नं.14769 सन् 2021 मृदुला आनन्द (शार्ट टर्म बेल) बनाम स्टेट आफ यू०पी० में पारित किया गया है, की इन्टरनेट द्वारा जारी प्रति प्रस्तुत की गयी है। उपरोक्त इन्टरनेट द्वारा जारी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को मृदुला आनन्द के विद्वान अधिवक्ता श्री रणधीर सिंह सुमन ने प्रमाणित किया है। उपरोक्त क्रिमिनल मिसलीनियस बेल एप्लीकेशन नं.14769 सन् 2021 मृदुला आनन्द (शार्ट टर्म बेल) बनाम स्टेट आफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांकित 31-08-2022 के परिशीलन से स्पष्ट है कि मृदूला आनन्द को दिनांक 22-03-2022 और 28-03-2022 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो शार्ट

टर्म बेल दी गयी थी उसे आज की तिथि से पुनः 40 दिन के लिये बढ़ा दिया गया है और अभियुक्ता मृदुला आनन्द को आदेशित किया गया है कि वह दिनांक 10-10-2022 को न्यायालय के समक्ष आत्म समर्पण करें। इस तरह से स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्ता मृदुला आनन्द की शार्ट टर्म बेल को दिनांक 10-10-2022 तक बढ़ा दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश शामिल पत्रावली हो।

कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि वह माननीय उच्च न्यायालय का उपरोक्त आदेश, जिसकी फोटोप्रति अभियुक्ता मृदुला आनन्द द्वारा दाखिल की गयी है, का सत्यापन कम्प्यूटर अनुभाग से दिनांक 01-09-2022 तक प्रत्येक दशा में कराकर अपनी आख्या प्रस्तुत करें।

दिनांक 31-08-2022

(कमल कान्त श्रीवास्तव)
J.O. Code:UP01559
विशेष न्यायाधीश (एम०पी०/एम०एल०ए०)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं.04, बाराबंकी।